बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांकः स्था0 02/02-07/2014/.......29......... /पटना, दिनांक.......25.9.14.......

प्रेषक,

पंकज कुमार,

सचिव,

योजना एवं विकास विभाग।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1 दरभंगा एवं सारण।

विषयः- वित्तीय वर्ष 2014-15 में आयोजना भिन्न/आयोजना बजट से योजना एवं विकास विभाग के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों (स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन) के स्थापना/गैर स्थापना व्यय से वहन हेतु स्वीकृत्यादेश संख्या-1355, दिनांक 10.09.2014 के आलोक में राशि भुगतान के लिए आवंटन के संबंध में । कुल आवंटित राशि रु0 **2,89,21,616/-(दो करोड़ नवासी लाख इक्कीस हजार छः सौ सोलह)** रुपये मात्र।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-687 दिनांक-24.07.2014 के माध्यम से सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए बिहार विनियोग विधेयक, 2014 पर महामहिम राज्यपाल ने दिनांक-23.07.2014 को स्वीकृति प्रदान की है। तत्पश्चात विधि विभाग ने बिहार विनियोग अधिनियम 2014 को अधिसूचना संख्या-एल0 जी0-1-09/2014: लेज 82 एवं 83 दिनांक- 24.07.2014 द्वारा अधिसूचित किया है।

2. कंडिका-1 के आलोक में वित्त विभाग ने 31 मार्च 2015 तक के अवधि के लिए बजट में प्रावधानित राशि को नियमानुसार व्यय करने की अनुमति प्रदान की है।

3. कंडिका-02 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2014-15 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है ।

4. संलग्न विवरणी मुख्य शीष-5475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-112-सांख्यिकीय, उपशीर्ष-0202-सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण को समर्थन, शीर्ष के अन्तर्गत राशि आवंटित की जा रही है। जिसका मांग सं०-35, विपत्र कोड-P/5475001120202 है।

5. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 से 02 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल-1 होंगे ।

6. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है । साथ ही इस आशय का प्रमाण-पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।

7. प्रत्येक परिस्थिति में मद्वार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय । इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।

8. व्यय का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रुप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने

23/9/2014

की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होगें।

9. आवंटित राशि को नियमानुसार व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998, पत्रांक-253 दिनांक 11.03.2014 एवं पत्रांक-687 दिनांक 24.07.2014 में उल्लेखित निदेश के साथ-साथ, समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।

10. स्वीकृत्यादेश संख्या-1355, दिनांक- 10.09.2014 द्वारा भारत सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण परियोजना के तहत 02 (दो) प्रमंडलीय मुख्यालयों में संयुक्त प्रमंडलीय सांख्यिकी/योजना भवन निर्माण हेतु स्वीकृत योजना के आलोक में वित्तीय वर्ष-2014-15 में नियमानुसार आवंटित राशि का व्यय किया जायेगा।

11. कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग के नियंत्रानाधीन है।चूकि योजना एवं विकास विभाग कार्य विभाग है। उक्त के आलोक में स्वीकृतादेश सं०-1355 दिनांक 10.09.2014 एवं स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के सभी कार्य प्रमंडलों में कार्यरत कार्यपालक अभियंता को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया गया है, के कार्यालय आदेश-218 (ज्ञापांक-1288) दिनांक 03.09.2014 के आलोक में आवंटित राशि को नियमानुसार व्यय कर इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र योजना एवं विकास विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

22/9/2014

सचिव

योजना एवं विकास विभाग

आबंटन विवरणी

मुख्य शीष-5475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पैंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-112-सांख्यिकीय, उपशीर्ष-0202-सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण को समर्थन, शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 का अतिरिक्त आवंटन विवरणी। मांग सं०-35, विपत्र कोड- **P/5475001120202**

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	13-01 कार्यालय व्यय	13-02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	16-01 प्रपत्रों का मुद्रण	20-03 प्रशिक्षण व्यय	53-01 मुख्य निर्माण कार्य	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1 दरभंगा	–	–	–	–	14460808	14460808
2	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1 सारण	–	–	–	–	14460808	14460808
	कुल योग:-	–	–	-	–	28921616	28921616

दो करोड़ नवासी लाख इक्कीस हजार छः सौ सोलह रुपये मात्र।

सचिव
योजना एवं विकास विभाग

04, En. Pramandal 5475, 04.09.14